

युद्ध स्तर पर चल रहा है नाले-नालियों की सफाई का कार्य 7 नालो की सफाई का कार्य जारी

नालो की सफाई उपरान्त किया जा रहा है कीटनाशक दवा का छिड़काव
रतलाम 03 जून । वर्षा ऋतु के पूर्व नगर के समस्त नाले-नालियों की सफाई करवाये का कार्य निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देश के तहत निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है साथ ही नालो की सफाई उपरान्त कीटनाशक दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा मीराकुटी लक्ष्मणपुरा, फ्रीगंज मालगोदाम, शैरानीपुरा, लक्कड़पीठा, हरमाला रोड ताज स्टोन, तेजा नगर व बाजना बस स्टैण्ड वाले नाले की सफाई का कार्य स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए. पी. सिंह के निर्देशन में जेसीबी मशीन, ट्रेक्टर ट्रॉली व गैंग के माध्यम से किया गया व सफाई उपरान्त नालों व नालियों में केसोलिक व ब्लीचिंग कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया।

अनुपस्थित 36 सफाई संरक्षक व 10 हैल्परों को कारण बताओ

सूचना-पत्र

आधे व एक दिवस को वेतन काटा

रतलाम 03 जून। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा रतलाम 03 जून गुरुवार को प्रातः नगर के विभिन्न वार्डों में सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान 36 सफाई संरक्षक व 10 कचरा संग्रहण वाहन के हैल्परों द्वारा अपने निर्धारित कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर आधे व पुरे दिवस का वेतन काटे जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर तीन दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया।

प्रातः निरीक्षण के दौरान झोन क्रमांक 1 में 14, झोन क्रमांक 2 में 5, झोन क्रमांक 3 में 4 व झोन क्रमांक 4 में 13 इस तरह कुल 33 सफाई संरक्षक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधितों का आधे व एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। इसी तरह कचरा संग्रहण वाहन के 10 हैल्परों द्वारा कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

893 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

रतलाम 03 जून । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 03 जून तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 893 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 03

जून को काटजू नगर, सैलाना बस स्टैण्ड, हाट रोड आदि क्षेत्रों से 7 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

होम आईसोलेशन मरीजों को मेडिसिन किट का वितरण

7 मरीजो को किया मेडिसिन किट का वितरण मरीज के परिजनों को 14 मेडिकल किट का वितरण

रतलाम 03 जून। कोविड-19 संक्रमण में होम आईसोलेशन के मरीजो को मेडिसिन किट व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की प्रति की होम डिलेवरी किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड वार गठित दलों द्वारा मरीजो के घर जाकर मेडिकल किट प्रदान की।

ई-दक्ष केन्द्र रतलाम से 03 जून को होम आईसोलेशन के मरीजो की सूची स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह ने प्राप्त कर जिला अस्पताल के स्टोर से 8 मेडिसिन किट प्राप्त कर निगम के अग्निशमन विभाग में उपलब्ध कराई जिन्हे अग्निशमन विभाग से वार्ड वार गठित दलो वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई।

वार्ड वार गठित दलो द्वारा होम आईसोलेशन के मरीजो के घर-घर जाकर मेडिकल किट का वितरण किया गया जिसके तहत सूची अनुसार 7 मरीजो को मेडिकल किट का वितरण घर पर किया गया तथा 1 मरीज को पूर्व से ही मेडिसिट प्राप्त हो चुकी थी व 14 मेडिसीन किट मरीज के परिजनों को प्रदान की गई।

नगरीय क्षेत्र में 249 कनटेंनमेंट झोन बनाये

रतलाम 03 जून | कोविड-19 कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार ऐसे क्षेत्र

जहां कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं उस क्षेत्र को कन्टेनमेंट झोन बनाया जा रहा है जिसके तहत अब तक 249 कन्टेनमेंट झोन बनाये जा चुके हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में 11 से 01 जून तक टाटा नगर में 2, तेजा नगर में 2, ओझाखाली, प्रताप नगर, प्रताप नगर एक्टेंशन, प्रताप नगर एक्टेंशन में मकान नम्बर 5, 19 व 30, ऑफिसर्स कॉलोनी, बालाजी नगर, थावरिया बाजार, वकील कालोनी, ब्राम्हणों का वास, वेदव्यास कालोनी में 4, गुलमोहर कॉलोनी, देवरादेव नारायण नगर, जवाहर नगर, डोंगरे नगर, मोहन नगर, अलकापुरी अम्बे चौक के पास, आदर्श नगर गली नम्बर 3, सुनाना ड्रीम होम्स सुमंगल गार्डन के पास, कस्तुरबा नगर मुख्य मार्ग पर 2, दीनदयाल नगर मुख्य मार्ग, दीनदयाल नगर मकान नम्बर 38 व 196, दीनदयाल नगर राधा-कृष्ण स्कूल के पास, शास्त्री नगर में 2, राजपूत बोर्डिंग के पास 2, महेश नगर, सनसिटी कॉलोनी, दीनदयाल नगर सी सेक्टर में 1 व जी सेक्टर में 2, धीरजशाह नगर गली नम्बर 4 में 1 व गली नम्बर 5 में 2, सिलावटो का वास, कस्तुरबा नगर पीएण्डटी कोलोनी, अम्बिका नगर, राजीव नगर, सुयोग परिसर, थावरिया बाजार, वेदव्यास कालोनी अभिलाषा अपार्टमेन्ट, खटीक मोहल्ला, दीनदयाल नगर डी सेक्टर, तेजा नगर गली नम्बर 4, नेमीनाथ नगर, गौशाला रोड, सुतारो का वास, जवाहर नगर, जनता नगर, अलकापुरी, भोयरा बावड़ी, ताहेरपुरा, अलकापुरी मुख्य मार्ग, कस्तुरबा नगर सांवरिया स्वीट् के पास, जवाहर नगर, बाणेश्वरी कॉलोनी, नेमीनाथ नगर, दीनदयाल नगर बी सेक्टर, तेजा नगर गली नम्बर 4 आदर्श गुरु कल्याण नगर, रिद्धी-सिद्धी कालोनी, सिद्धांचलम एक्सटेंशन, महेश नगर, इन्द्रा नगर, सैनिक कालोनी, टाटा नगर गली नम्बर 1 व 8, सिलावटो का वास अन्न क्षेत्र, करमदी रोड, सुदामा परिसर, अजंता पेलेस, राजस्व कालोनी, खटीक मोहल्ला, हाथीखाना, खटीक मोहल्ला, गौशाला रोड, जाटो का वास, नौलाईपुरा, टाटा नगर गली नम्बर 7, अरिहंत परिसर सेक्टर नम्बर 2 में 2 व 1 में 1, नूरी नगर उंकाला रोड, सूरजमल जैन नगर, लक्ष्मीनगर ए कालोनी, एम.बी. नगर, लक्ष्मणपुरा पीएनटी कालोनी गली नम्बर 1, ग्लोबस टाउन शिप, अलकापुरी एम.आई.जी. 24 व 25 व अलकापुरी डी 27 व बी 279, हिम्मत विहार कालोनी, अशोक नगर, करण नगर, जूनी कलालसेरी, दीनदयाल नगर एफ सेक्टर, वेदव्यास कालोनी, ताहेरपुरा, श्रीमालीवास, जवाहर नगर व मोहन नगर में 2 कन्टेनमेंट, हाथीखाना, खान बावड़ी, गुलमोहर कालोनी, रामदेवजी की घाटी, दीनदयाल नगर सी सेक्टर, करण नगर, जूनी कलालसेरी, कल्याण नगर, गांधी नगर, डोंगरे, इन्द्रा नगर, दीनदयाल नगर डी, ई व एफ सेक्टर, हिम्मत नगर में 2, महेश नगर, जवाहर नगर, अम्बेडकर नगर, कोमल नगर, मित्र निवास रोड, टीआईटी रोड पर 2, गुलमोहर कालोनी, महु रोड रायल कालेज के पास पटेल हाउस, आमलिया भेरू, रत्नपुरी, न्यू ग्लोबस सिटी, पीएनटी कालोनी, वीआईपी नगर, भोई मोहल्ला, जावरा रोड सीतला माता मंदिर, शास्त्री नगर रतलाम हास्पिटल के पास, लक्ष्मी नगर, जैन कालोनी नागरवास, महु रोड अविष्कार अपार्टमेन्ट, पीएनटी कालोनी, काटजू नगर, सिद्धांचलम, प्रताप नगर, धभाई जी का वास, दीनदयाल नगर ए सेक्टर, कोठारीवास, दो बत्ती पुलिस लाईन, जावरा रोड, जावरा रोड सीतला माता मंदिर, धीरजशाह नगर गली नम्बर 4, गांधी नगर, सनसिटी, तिरुपति नगर, देवरा देव नारायण नगर, रेहमत नगर, प्रताप नगर, दीनदयाल नगर, राम मंदिर के पास, मराठो का वास, मोचीपुरा, हाट रोड, राजस्व कालोनी, मिड टाउन कालोनी, सूरजमल जैन नगर, सुदामा नगर गली नम्बर 4, रामगढ़, दीनदयाल नगर बी सेक्टर, जवाहर नगर, राजीव नगर, सज्जन विहार कालोनी, मित्र निवास रोड, एकता नगर, काजीपुरा, भगतपुरी मुख्य मार्ग, ऋषभदेव नगर, रेलवे कालोनी, कस्तुरबा नगर, जवाहर नगर, पीएनटी कालोनी, इन्द्रा नगर, डोंगरे नगर, नागरवास, आबकारी रोड, नजर बाग बैंक कालोनी, चांदनी चौक, शिवधाम परिसर रत्नेश्वर रोड, सम्यक ग्लोबस सिटी, जावरा रोड, रेहमत नगर, प्रताप नगर, घटला कालोनी, डोसीगांव पी.एम. आवास योजना फ्लेट, कांगसी मोहल्ला बाजना बस स्टैण्ड, अशोक नगर, टाटा नगर गली नम्बर 2, कस्तुरबा नगर, अलकापुरी, जवाहर नगर, जाटो का वास, 2 मुंह की बावड़ी, महालक्ष्मी नगर, दीनदयाल नगर, इन्द्रा नगर, जवाहर

नगर, सिलावटो का वास, भगतसिंह कालोनी, जवाहर नगर, प्रताप नगर, मौलाना आजाद नगर, नयागांव राजगढ़, जाटो का वास, पत्रकार कालोनी, ईदगाह रोड, टाटा नगर गली नम्बर 5 व 6, रेहमत नगर, डीजल शेड, महावीर नगर, मंगलम् सिटी, कस्तुरबा नगर, नयागांव गणेश नगर, मित्र निवास रोड, मोचीपुरा व कलीमी कालोनी में कन्टेनमेंट झोन बनाये गये है इस तरह 24 दिवस में 249 कन्टेनमेंट झोन रतलाम नगरीय क्षेत्र में बनाये गये हैं।

कन्टेनमेंट क्षेत्रों में किया जा रहा है सेनेटाईजेशन का कार्य

रतलाम 03 जून | कोविड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को रोकने हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर बनाये गये कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरी, ट्रेक्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से सेनेटाईजेशन किया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर बनाये गये विभिन्न कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरी, ट्रेक्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से कन्टेनमेंट क्षेत्रों में नियमित रूप से पानी में 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड मिलाकर सेनेटाईजेशन का कार्य झोन अनुसार नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है ताकि कोविड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को जा सकें।

नगर में प्रतिदिन किया जा रहा है सेनेटाईजेशन

नगर के विभिन्न क्षेत्रों को फायर लॉरी से किया सेनेटाईज

रतलाम 03 जून | रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार निगम के विभिन्न वाहनों के माध्यम से सोडियम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज किया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन किया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व ट्रेक्टर ट्रॉली से नगर के विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों, गलियों, भवन आदि को 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड मिलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज किया जा रहा है। 03 जून को फायर लॉरी व ट्रेक्टर ट्रॉली से मेडिकल कालेज, नजरबाग, मोचीपुरा, शैरानीपुरा, काजीपुरा, रत्नपुरी, काटजू नगर, मदरसा दारूलम खाचरौद रोड सहित नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन किया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज, माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्र, कलेक्टोरेट, ई-दक्ष कार्यालय, नगर निगम कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयों आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य किया गया।

नगर के सेनेटराईज किये जाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य किया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व नालियों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 03 जून | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का विक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 03 जून | नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 03 जून | स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/03.06.2021/न.पा.निगम, रतलाम.